<u>न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़, जिला— अलवर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : शांतनु सिंह खंगारोत R.J.S.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 175 / 2016
सी.आई.एस. नम्बर : 522 / 2017
एफआईआर सं. : 24 / 2016
पुलिस थाना : टहला

राजस्थान राज्य **बनाम** कमल

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0सं0</u>

भाग—1

अ

शिकायतकर्ता	श्री अभिषेक
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	कमल सिंह, पुत्र महावीर सिंह, निवासी खोहरा कलां थाना कोलवा दौसा जिला दौसा।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रमेशचंद शर्मा

भाग —2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
पी.डबल्यू 01	डॉ0 जीपी मीना	चिकित्सीय साक्षी
पी.डबल्यू 02	अभिषेक	परिवादी
पी.डबल्यू 03	मनीष	चश्मदीद साक्षी
पी.डबल्यू 04	राजेन्द्र	चश्मदीद साक्षी
पी.डबल्यू 05	संजय	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 06	रणजीत	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 07	श्याम कुमार	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 08	कालूराम	पुलिस साक्षी
पी.डबल्यू 09	अभिषेक	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 10	जयराम	पुलिस साक्षी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	सक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण	गवाह जिसके द्वारा प्रदर्शित करवाया गया
1	प्रदर्श पी 01	पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रिंस	Pw 01
2	प्रदर्श पी 02	पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनील	Pw 01
3	प्रदर्श पी 03	पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीपक	Pw 01
4	प्रदर्श पी 04	तहरीरी रिपोर्ट	Pw 02
5	प्रदर्श पी 05	चाक एफआईआर	Pw 02, 10
6	प्रदर्श पी 06	नक्शामौका	Pw 02, 03, 06, 10
7	प्रदर्श पी 07	चोट प्रतिवेदन अभिषेक	Pw 02
8	प्रदर्श पी 08	फर्द पंचायतनामा दीपक	Pw 03, 07, 10
9	प्रदर्श पी 09	फर्द पंचायतनामा सुनील	Pw 03, 05, 10
10	प्रदर्श पी 10	फर्द पंचायतनामा प्रिंस	Pw 03, 06, 10
11	प्रदर्श पी 11	रसीद सुपुदर्गी लाश सुनील	Pw 05, 10
12	प्रदर्श पी 12	रसीद सुपुदर्गी लाश प्रिंस	Pw 06, 10
13	प्रदर्श पी 13	फर्द सुपुदर्गी वैगनार कार	Pw 07, 10

14	प्रदर्श पी 14	फर्द जब्ती ट्रक	Pw 07, 10
15	प्रदर्श पी 15	रसीद सुपुदर्गी लाश दीपक	Pw 07, 10
16	प्रदर्श पी 16	मैकेनिकल रिपोर्ट वैगनार	Pw 08
17	प्रदर्श पी 17	मैकेनिकल रिपोर्ट ट्रक	Pw 08
18	प्रदर्श पी 18	133 एमवी एक्ट का नोटिस	Pw 09, 10
19	प्रदर्श पी 19	फर्द जब्ती कागजात ट्रक	Pw 09, 10
20	प्रदर्श पी 20	134 एमवी एक्ट का नोटिस	Pw 10

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
निल	निल	निल

नि र्ण य **दिनांकः 19.03.2026**

01. इस आपराधिक प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी अभिषेक ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 26.01.2016 को वह व उसके साथी प्रिंस, सुनील व दीपक अवस्थी अपनी वैगनार कार नंबर डीएल 8 सीके 9508 से बालाजी से दिल्ली जा रहे थे तो समय रात्रि करीब 09.00 पीएम पर जब वे राजगढ बांदीकुई रोड पर वर्षा होटल से आगे पहुंचे तो सामने से एक ट्रक संख्या आरजे 02 जीए 5198 के चालक ने अपने ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड मे आकर उनकी वैगनार के टक्कर मार दी, जिस दुर्घटना में आई चोटो के कारण प्रिसं, सुनील, दीपक की मौके पर ही मौत हो गई व उसके भी चोटे आई। उक्त घटना में उनकी थार भी क्षतिग्रस्त हो गई..... इत्यादि। रिपोर्ट पर पुलिस थाना टहला में एफ.आई.आर नं 24/2016 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त कमल के विरूद्व अपराध धारा 279, 337, 304(ए) भा0द0स0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

02. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304(ए) भा0द0स0 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझ कर अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

03. साक्ष्य अभियोजन लेखबद्ध की गई। अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द.प.स. लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा जिसपर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

04. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरित अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का अपराध में संलिप्त नहीं होना जाहिर करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.01.2016 को राजगढ बांदीकुई रोड पर वर्षा होटल से आगे अपने ट्रक संख्या आरजे 02 जीए 5198 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड मे आकर वैगनार कार नंबर डीएल 8 सीके 9508 के सामने से टक्कर मार दी, इस उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से कार में सवार अभिषेक के साधारण एवं गंभीर चोटे कारित हुई एवं कार में सवार प्रिंस सुनील, दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है। अभियुक्त का उक्त कृत्य भा0द0स0 की धारा 279, 337, 304ए के अधीन दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है?

2. यदि हॉ तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

07. हस्तगत प्रकरण का उद्गम परिवादी अभिषेक पुत्र राजेश कुमार द्वारा प्रदर्श पी4 तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना टहला में दिए जाने से हुआ। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी अभिषेक ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 26.01.2016 को वह व उसके साथी प्रिंस, सुनील व दीपक अवस्थी अपनी वैगनार कार नंबर डीएल 8 सीके 9508 से बालाजी से दिल्ली जा रहे थे तो समय रात्रि करीब 09.00 पीएम पर जब वे राजगढ बांदीकुई रोड पर वर्षा होटल से आगे पहुंचे तो सामने से एक ट्रक संख्या आरजे 02 जीए 5198 के चालक ने अपने ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड मे आकर उनकी वैगनार के टक्कर मार दी, जिस दुर्घटना में आई चोटो के कारण प्रिसं, सुनील, दीपक की मौके पर ही मौत हो गई व उसके भी चोटे आई। उक्त घटना में उनकी थार भी क्षतिग्रस्त हो गई..... इत्यादि। उक्त परिवादी प्रकरण में **<u>गवाह पी.ड.2</u>** के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर किया है कि ''दिनांक 26.01.2016 को रात्रि करीब 9 बजे की बात है कि उस दिन मैं मेरे साथी प्रिंस, सुनील व दीपक वेगनार कार नंबर डीएल 8 सीके 9508 से मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन करके वापिस दिल्ली जा रहे थे। जब हम राजगढ़ के पास वर्षा होटल के पास पहुंचे तभी सामनें की तरफ से एक ट्रक जिसके नंबर आजे 02 जी.ए. 5198 का चालक ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और रोग साईड में आकर हमारी कार को टक्कर मार दी, जिससे मेरे साथी प्रिंस, सुनील व दीपक

के शरीर पर गम्भीर चोटे आई, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर लगने से मेरे शरीर पर भी चोटे आई थी। उसके बाद हमें राजगढ सरकारी हॉस्पीटल में लेकर गये थे। राजेन्द्र व मनीष मौके पर थे जो हमें हॉस्पीटल लेकर गये थे। घटना की रिपोर्ट मैंने थाना राजगढ़ में दर्ज करवाई थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 04 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी.05 है। पुलिस ने दूसरे दिन घटना स्थल का नक्शा मौका मेरे सामनें बनाया था जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे आई चोटो का मेडिकल मुआयना हुआ था जो प्रदर्श पी. 07 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।'' उक्त गवाह स्वयं की **जिरह** में जाहिर करता है कि वह वैगनार गाडी मे चालक के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। गवाह इस तथ्य से भी इंकार करता है कि ट्रक रोड की साइड में खडा हो और उनकी गाडी ने खडे हुए ट्रक के टक्कर मारी हो। गवाह यह नही बता पाया है कि उनकी गाडी व ट्रक में आमने–सामने से टक्कर हुई थी या नही। गवाह जाहिर करता है कि उसने दुर्घटना के बाद ट्रक को सामने से नही देखा था, बल्कि साइड में से देखा था। गवाह दुर्घटना के बाद मौके पर ट्रक व भीड देखा जाना जाहिर करता है, किंतु गवाह जिरह में यह नही बता पाया है कि दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रक का चालक कौन था। गवाह यह भी नही बता पाया है कि दुर्घटना कैसे हुई थी। गवाह को इस तथ्य की भी जानकारी नही है कि सुनील ने उनकी गाडी को ट्रक की साईड में जाकर ट्रक को टक्कर मारी हो। **इस प्रकार** गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने दुर्घटना के बाद ट्रक को देखा था। ऐसी परिस्थिति में यह पर्याप्त रूप से प्रमाणित है कि दुर्घटना ट्रक संख्या आरजे 02 जीए 5198 से कारित हुई थी, किंतु गवाह के द्वारा यह जाहिर किया जाना कि उसे इस बात की जानकारी नही है कि दुर्घटना कैसे हुई थी, उक्त कथन इस तथ्य को प्रमाणित नही करता है कि ट्रक चालक द्वारा वाहन तेजगति व लापरवाही से चलाया जा रहा हो। गवाह के द्वारा चालक की पहचान भी नही की गई है। उक्त गवाह ही प्रकरण में एकमात्र चश्मदीद गवाह है, जो घटना के समय मौजूद था। गवाह की साक्ष्य को अन्य गवाहान की साक्ष्य के साथ देखा जाना आवश्यक हैं।

08. गवाह पी.ड.2 के द्वारा स्वयं की साक्ष्य में राजेन्द्र व मनीष के मौके पर होने का तथ्य जाहिर किया गया है। उक्त मनीष प्रकरण में गवाह पी.ड.3 के रूप में परीक्षित हुआ है। **गवाह पी.ड.3** स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर करता है कि ''दिनांक 26.01.2016 को रात्रि करीब 9 बजे की बात है कि उस दिन मैं व राजेन्द्र मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन करके दिल्ली जा रहे थे। हम हमारी कार जो राजेन्द्र की थी, जिससे जा रहे थे। हमसे पहले ही अभिषेक, सुनील, दीपक व प्रिंस वेगनार कार से मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन करके वापिस दिल्ली जा रहे थे। रात्रि करीब 9 बजे राजेन्द्र के पास संजय का फोन आया कि वर्षा होटल के पास राजगढ़ हाईवे पर ट्रक जिसके नंबर आजे 02 जी.ए. 5198 है, जिसके चालक ने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अभिषेक की कार को टक्कर मार दी. जिससे उसमें बैठे प्रिंस, सुनील व दीपक के शरीर पर गम्भीर चोटे आई, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा टक्कर लगने से अभिषेक के शरीर पर भी चोटे आई है, जिस पर तुरन्त ही मैं व राजेन्द्र मौके पर पहुंचे तो मैंने देखा कि टक्कर मारने वाला ट्रक मौके पर ही खड़े थे, जिसके नंबर आजे 02 जी.ए. 5198 थे एवं वेगनार कार में प्रिंस, सुनील व दीपक फंसे हुए थे तथा अभिषेक घायल अवस्था में था। फिर पुलिस मौके

पर आई गई थी और हम इन सभी को राजगढ़ हॉस्पीटल लेकर आ गए थे, जहाँ पर दीपक अवस्थि का फर्द पंचायतनामा लाश राजगढ़ हॉस्पीटल में बनाया था जो प्रदर्श पी. 08 है। सुनील का फर्द पंचायतनामा लाश राजगढ़ हॉस्पीटल में बनाया था जो प्रदर्श पी. 09 है। प्रिंस का फर्द पंचायतनामा लाश राजगढ़ हॉस्पीटल में बनाया था जो प्रदर्श पी. 10 है। उक्त फों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका भी मेरे सामनें बनाया था जो प्रदर्श पी. 06 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।'' उक्त गवाह **जिरह** में स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि उनके पास संजय अग्रवाल का फोन आया था, जो सुनील अग्रवाल का भाई था, कि होटल के पास एक्सीडेंट हो गया है। गवाह के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नही है। गवाह जाहिर करता है कि उसे 08.30 बजे फोन आया था तथा वह रात्रि 09.00 बजे मौके पर पहुंच गए थे। गवाह यह भी जाहिर करता है कि जब वे दुर्घटनास्थल पर पहुंचे थे तो पुलिस वाले अभिषेक घायल को अस्पताल ले गए थे तथा तीनो की डेडबॉडी को, गाडी को जेसीबी से तोडकर निकाल रहे थे। गवाह यह भी जाहिर करता है कि उसने एक ट्रक साईड में हल्का सा खेत की तरफ नीचे उतरा हुआ खडा देखा था। उसने ट्रक को पीछे से देखा था। गवाह जाहिर करता है कि देखने में ऐसा लग रहा था कि दुर्घटना आमने–सामने से हुई थी तथा फिर कथन करता है कि टक्कर साईड से हुई थी। गवाह स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि उसने ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलते हुए नही देखा था। **इस प्रकार** गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वह घटना के पश्चात घटनास्थल पर पहुंचा था। जब वह घ ाटनास्थल पर पहुंचा था, तब अभिषेक को अस्पताल ले जा चुके थे। ऐसी परिस्थिति में अभिषेक गवाह पी.ड.2 के द्वारा स्वयं के मुख्य परीक्षण में यह जाहिर किया जाना कि राजेन्द्र व मनीष उसे हॉस्पिटल लेकर गए हो, गलत साबित होता है। गवाह के द्वारा दुर्घटना भी नही देखी गई थी। ऐसी परिस्थिति में यह भी प्रमाणित नही है कि ट्रक तेजगति व लापरवाही से चल रहा हो। गवाह ने ट्रक के चालक की पहचान उजागर नही की है, किंतु गवाह की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि दुर्घटना ट्रक वाहन संख्या आरजे 02 जीए 5198 के द्वारा कारित हुई थी।

09. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड.4 राजेन्द्र अग्रवाल** ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से गवाह पी.ड.3 के द्वारा जाहिर किए गए कथनो की ही पुनर्रावृत्ति की है। उक्त गवाह भी **जिरह** मे स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि उसे सूचना संजय से प्राप्त हुई थी तथा सूचना मिलने के आधे–पौने घंटे बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे थे। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे थे, तब दुर्घटना हो चुकी थी। गवाह ने जिरह में यह भी जाहिर किया है कि अभिषेक को हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका था। गवाह जाहिर करता है कि ट्रक नीचे खेतो में पडा हुआ था तथा एक्सीडेंट सामने से हुआ था, किंतु गवाह यह भी स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि उसने ट्रक को रोंग साइड में आकर तेजगति से कार को टक्कर मारते नही देखा था। गवाह यह भी जाहिर करता है कि सुनील का बडा भाई संजय दिल्ली था, जो रात को 02.00 बजे हॉस्पिटल राजगढ आया था। गवाह जाहिर करता है कि उसने ट्रक के नंबर घटना के दूसरे दिन हॉस्पिटल से मौके पर जाकर देखे थे। **इस प्रकार** उक्त गवाह भी घटना का चश्मदीद गवाह नही है। गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित नही होता है कि वक्त दुर्घटना ट्रक तेजगति व लापरवाही से चलाया जा रहा हो। गवाह के द्वारा

यह जाहिर किया जाना कि उसने ट्रक के नंबर दूसरे दिन देखे थे, दर्शाता है कि दूसरे दिन भी दुर्घटना के बाद ट्रक मौके पर ही था। गवाह की साक्ष्य से भी ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 5198 के द्वारा दुर्घटना कारित करना प्रमाणित होता है, किंतु चालक की पहचान उजागर नही होती है।

10. **गवाह पी.ड.6 रणजीत कुमार** मृतक प्रिंस का पिता है, जो स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर करता है कि प्रिंस, दीपक, सुनील व अभिषेक दिल्ली से वैगनार कार नंबर 9508 से बालाजी दर्शन करने गए थे। रात्रि करीब 09.00 बजे वर्षा होटल राजगढ पर पहुंचे तो सामने से ट्रक नंबर 5198 के चालक द्वारा उसे तेजगति व लापरवाही से चलाकर वैगनार कार को टक्कर मार दी गई। गवाह सूचना पर उसके परिवार सहित राजगढ आया। गवाह जिरह मे जाहिर करता है कि एक्सीडेंट वर्षा होटल के पास हुआ था। गवाह यह भी जाहिर करता है कि वैगनार गाडी 9508 को ट्रक नंबर 5198 ने रोंग साइड में आकर टक्कर मार दी थी। गवाह जाहिर करता है कि वह एक्सीडेंट के बाद राजगढ अस्पताल आया था। गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नही है तथा अन्य लोगो की सुनी सुनाई बातो के आधार पर स्वयं के बयान देता है। गवाह भी इस तथ्य की पुष्टिकारक साक्ष्य देता है कि दुर्घटना वाहन ट्रक संख्या 5198 के द्वारा कारित की गई थी, किंतु गवाह भी चालक की पहचान उजागर नही कर पाया है।

11. इसी प्रकार **गवाह पी.ड.7 श्याम कुमार** मृतक दीपक का रिश्तेदार है, जो भी स्वयं के मुख्य परीक्षण में ट्रक नंबर 5198 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से वैगनार कार के टक्कर मारे जाने का कथन करता है। गवाह **जिरह** में स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि उसे घटना की सूचना फोन से मिली थी। उसे पता चला था कि उसके मौसेरे भाई दीपक की गाडी को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। गवाह की साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नही है, किंतु एक्सीडेंट ट्रक संख्या 5198 से होने की पुष्टिकारक साक्ष्य देता है। इसी प्रकार **गवाह पी.ड.5 संजय** क्षतिग्रस्त कार वैगनार संख्या डीएलसीके 9508 का वाहन स्वामी है तथा मृतक सुनील का भाई है। गवाह को भी घटनास्थल पर उपस्थित लोगो ने फोन पर सूचना दी थी। गवाह मुख्य परीक्षण में ट्रक का नंबर आरजे 02 जीए 5198 बताता है तथा चालक के द्वारा तेजगति व लापरवाही से ट्रक चलाया जाना जाहिर करता है। गवाह को इस तथ्य की जानकारी नही है कि वक्त दुर्घटना कार को कौन चला रहा था। गवाह **जिरह** में स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि दुर्घटना कब व कैसे हुई, उसे पता नही है। ऐसी परिस्थिति में गवाह भी अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन नही करता है।

12. **गवाह पी.ड.8 कालूराम** के द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन वैगनार एवं दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रक का मैकेनिकल मुआयना किया गया था। गवाह ने जाहिर किया है कि उसने दिनांक 27.01.2016 को मैकेनिकल मुआयना किया था। गवाह के अनुसार वैगनार कार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त थी तथा उसका इंजन पूर्ण रूप से टूट चुका था। वैगनार कार की बॉडी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी तथा गाडी के पीछे के पहिए गाडी से अलग हो चुके थे। गवाह के द्वारा ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 5198 का भी मैकेनिकल मुआयना किया गया था। वक्त निरीक्षण ट्रक का कंडक्टर साइड का दान टूटा हुआ था तथा प्रेशर टैंक फुटा हुआ था, जिससे ब्रेक नही लग रहे थे। गवाह जाहिर करता है कि उक्त ट्रक का इंजन स्टार्ट

था, किंतु गाडी चलने की हालत में नही थी। गवाह जिरह में जाहिर करता है कि प्रेशर टेंक टूट जाने पर ब्रेक फेल हो जाते है। गवाह जिरह में जाहिर करता है कि गाडी की स्थिति देखते हुए एक्सीडेंट आमने–सामने से भी हो सकता था तथा बडी गाडी साइड से आगे व पीछे टायरो के बीच में घुस सकता है, जिससे भी दुर्घटना हो सकती है। गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वैगनार कार संख्या डीएल 8सीके 9508 एवं ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 5198 के मध्य दुर्घटना हुई थी। **गवाह पी.ड.1 डॉ0 जीपी मीना** प्रकरण मे विशेषज्ञ साक्षी के रूप में परीक्षित हुआ था। गवाह ने मृतक प्रिंस कुमार, सुनील एवं दीपक का पुलिस तहरीर पर पोस्टमार्टम किया था। गवाह ने मृतको की मौत का कारण हैड इंजरी व अत्यधिक रक्त स्त्राव होना बताया है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड.9 अभिषेक गर्ग** ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 5198 का वाहन स्वामी है, जो स्वयं के मुख्य परीक्षण में जाहिर करता है कि उसके वाहन से दिनांक 26.01.2016 को वर्षा होटल के पास दुघ र्टना हुई थी। गवाह यह भी जाहिर करता है कि पुलिस ने उसे धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया था तथा बरवक्त दुर्घटना दिनांक 26.01.2016 को कमल सिंह निवासी खोहरकलां वाहन का चालक था। गवाह नोटिस जवाब प्रदर्श पी18 पर ए से बी स्वयं का जवाब एवं सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर करता है, किंतु **जिरह** में जाहिर करता है कि उसे सलीम नामक व्यक्ति ने दुर्घटना की सूचना दी थी तथा चालक ने कोई सूचना नही दी थी। गवाह यह भी जाहिर करता है कि उसे पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया था। गवाह के द्वारा जिरह में यह जाहिर करना कि उसे पुलिस ने किसी प्रकार का नोटिस नही दिया था, प्रदर्श 18 को संदेहपूर्ण बनाता है।

14. **गवाह पी.ड.10 जयराम** प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो_स्वयं के मुख्य परीक्षण में दौराने अनुसंधान मृतको के शव का पंचनामा शामिल पत्रावली किए जाने, पीएमआर शामिल पत्रावली किए जाने, मजरूब अभिषेक की आईआर शामिल पत्रावली किए जाने, क्षतिग्रस्त वाहनो का निरीक्षण किए जाने, नक्शामौका बनाए जाने, गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जाने, वाहन स्वामी को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिए जाने तथा जवाब में दुर्घटना चालक कमल सिंह के द्वारा कारित होने, नोटिस प्रदर्श पी18 का जवाब ए से बी होने, वाहन चालक कमल सिंह को नोटिस अंतर्गत धारा 134 एमवी एक्ट का दिए जाने, संपूर्ण अनुसंधान में अभियुक्त कमल सिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माने जाने का कथन करता है। गवाह जिरह मे जाहिर करता है कि उसने कमल सिंह को चालक मालिक अभिषेक गर्ग के अनुसार ही माना है।

15. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांक 26. 01.2016 को राजगढ के पास वर्षा होटल के पास वैगनार कार संख्या डीएल 8 सीके 9508 एवं ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 5198 के मध्य दुर्घटना कारित हुई थी। यह तथ्य भी पर्याप्त रूप से प्रमाणित है कि दुर्घटना में ट्रक नंबर आरजे 02 जीए 5198 शामिल था, किंतु चश्मदीद गवाह अभिषेक तथा अन्य गवाहान यह नही बता पाए है कि वक्त दुर्घटना वाहन का चालक कौन था। गवाह पी.ड.9 वाहन स्वामी अभिषेक गर्ग की जिरह में सारभूत विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, जिससे उसकी साक्ष्य पर विश्वास नही किया जा सकता है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह माना जा सके कि

वाहन तेजगति व लापरवाही से चलाया जा रहा हो। मजरूब अभिषेक के अलावा कोई भी गवाह प्रकरण का चश्मदीद गवाह नही है। मजरूब अभिषेक यह नही बता पाया है कि दुर्घटना कैसे हुई थी। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित कर पाया हो कि अभियुक्त ने दिनांक 26.01.2016 को राजगढ बांदीकुई रोड पर वर्षा होटल से आगे अपने ट्रक संख्या आरजे 02 जीए 5198 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड मे आकर वैगनार कार नंबर डीएल 8 सीके 9508 के सामने से टक्कर मार दी, इस उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से कार में सवार अभिषेक के साधारण एवं गंभीर चोटे कारित हुई एवं कार में सवार प्रिंस सुनील, दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

16. अतः अभियुक्त कमल सिंह, पुत्र महावीर सिंह, निवासी खोहरा कलां थाना कोलवा दौसा जिला दौसा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 304ए भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगीनामें एवं जमानतनामे पर है, बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे।

18. अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त धारा 437ए सीआरपीसी के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 6 माह की अवधि तक प्रभावी 10000—10000 रूपए के जमानत व बंधपत्र पेश करें।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट
राजगढ जिला अलवर

19. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट
राजगढ जिला अलवर